>

Title: Need to check the operation of Chemical factory set up in Nagda tehsil of Madhya Pradesh polluting the environment of the area.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की नागदा तहसील में स्थित रसायन उद्योग द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला जारी है। यह एक खतरनाक उद्योग की श्रेणी में है। मैं इस संबंध में पूर्व में हुई अनियमितताओं के बारे में सदन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अभी 7 दिसम्बर की रात की घटना है। इस उद्योग से निकली क्लोरीन गैस पूरे नागदा क्षेत्र में फैल गई। तेज गंध से परेशान लोग बैचेन होकर घरों से बाहर निकल आएं। दहशत के मारे लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। इसका ज्यादा पता, जिनके यहां शादियां थी, उन लोगों को लगा। इस उद्योग से इतनी भयानक गैस निकलती है जिससे आंखें खराब होकर व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा श्वास नली के द्वारा गैस को ग्रहण करने से मृत्यु भी हो सकती है। ग्रेसिम उद्योग में एक श्रमिक की मृत्यु भी हो चुकी है। 04 अक्तूबर, 2010 को उद्योग में एसिड लीक होने से दो मजदूर घायल भी हुए थे। इनसे निकलने वाले प्रदूषित पानी से किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर बनती जा रही है।

इस उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी की बोरिंग करके जमीन में ही डाला जा रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र का पानी दूषित हो गया है। वहां का पानी पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फैल गई थी जिसके कारण इस क्षेत्र में 12 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित पाए गए। अब स्थानीय नागरिक जमीन का पानी नहीं पी रहे हैं। प्रशासन ने बोरिंग पानी पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं जब भी क्षेत्रीय भ्रमण पर जाता हूं तो जनता की एक ही मांग रहती है, इस उद्योग से हमें निजात दिलाओ। मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इस उद्योग में जो भी अनियमितताएं थी उसको दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण करने के निर्देश केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण बोर्डों ने दिए थे लेकिन उद्योग में सेफ्टी के उपाय आज तक भी पूर्ण नहीं किए गए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी होने से पहले लोगों ने प्रशासन को पत्र लिखे थे लेकिन उन्हें प्रशासन ने अनदेखा कर बहुत बड़े कांड को निमंत्रण दिया था। मुझे इस उद्योग के अंदर उसी महाविनाशकारी कांड की पुनरावृत्ति दुबारा नजर आ रही है। मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग का लाइसेंस तुंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए ताकि जन-जीवन को बचाया जा सके।